

सविनय निवेदन है कि दिनांक 19/06/2019 को प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 तक का सम्पत्ति विवरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी को वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 का सम्पत्ति विवरण वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रेषित करना था। परन्तु मार्च वर्ष 2021 के अंतिम सप्ताह से कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग गया था, उसके पश्चात प्रार्थी के कई पारिवारिक सदस्य कोविड-19 से प्रभावित रहे। पुनः प्रार्थी स्वयं माह अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण बिमार हो गया था तथा दिनांक 11/04/2021 से 07/05/2021 तक अवकाश पर रहा तथा पुनः दिनांक 08/05/2021 से दिनांक 08/06/2021 तक अर्जित अवकाश पर रहा। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति विवरण समय से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित नहीं किया जा सका। प्रार्थी द्वारा सम्पत्ति विवरण भेजने में जान-बूझकर कोई गलती नहीं की गई।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा सम्पत्ति विवरण भेजने में हुए विलम्ब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी की गलती को क्षमा करने की कृपा करें। भविष्य में प्रार्थी द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण प्रेषित किया जायेगा।

सादर।